इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 311]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 जून 2011—आषाढ़ 6, शक 1933

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जून 2011

क्र. एफ-2-2-2011-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पिठत धारा 70 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 में, जो ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 3 अगस्त, 2010 तथा 8 फरवरी, 2011 में, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में प्रकाशित किये जा चुके हैं, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,---

1. नियम 6 में.---

(एक) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''(5) संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत श्रेणी और प्रवर्गवार निम्नलिखित अनुसार होगा :---

संविदा शाला शिक्षक	अनुसूचित जाति/अनुसूचित	अन्य	
की श्रेणी	जनजाति/अन्य पिछडे़ वर्ग/		
	नि:शक्त व्यक्ति		
(1)	(2)	(3)	
श्रेणी1	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत	
श्रेणी-2	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत	
श्रेणी-3	50 प्रतिशत	60 प्रतिशत;'';	

- (दो) उपनियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:--
 - ''(8)संविदा शाला शिक्षक के नियोजन के लिये विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य सरकार के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी.'';
- (तीन) उपनियम (१) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - ''(9) **चयन का मापदण्ड**.—संविदा शाला शिक्षक के नियोजन तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया राज्य सरकार के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जा सकेगी.'';
- (चार) उपनियम (10), (11), तथा (13) का लोप किया जाए.
- 2. नियम 12 में, खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - ''(घ) इन नियमों के अधीन नियोजित कोई व्यक्ति, एक वर्ष में तेरह दिन के आकस्मिक अवकाश और तीन दिन के ऐच्छिक अवकाश का हकदार होगा. महिला ''संविदा शाला शिक्षक'' की दशा में, वह एक सौ अस्सी दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार होगी तथा पुरुष ''संविदा शाला शिक्षक'' की दशा में, वह पन्द्रह दिन के पितृत्व अवकाश का हकदार होगा, किन्तु कोई भी ''संविदा शाला शिक्षक'' किसी अन्य प्रकार के अवकाश का हकदार नहीं होगा.''.
- 3. अनुसूची-दो में,---
 - (एक) अनुक्रमांक 1 में, कालम (5) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—
 ''संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा में स्नातक उपाधि (बी. एड.) या उसके समकक्ष.''.
 - (दो) अनुक्रमांक 2 में, कालम (5) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :— संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा या उसके समकक्ष;

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि तथा शिक्षा में स्नातक उपाधि (बी. एड.)

या

कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार शिक्षा में स्नातक उपाधि (बी.एड.).

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी. एल. एड.)

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा तथा संबद्ध विषय में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि (बी. ए., बी. एड./बी. एस. सी., बी. एड.)

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ संबद्ध विषय में स्नातक उपाधि तथा बी. एड. (विशेष शिक्षा).'';

(तीन) अनुक्रमांक 3 में,-

(क) कॉलम (5) में, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात :--

''कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय दिप्लोमा

या

कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा.

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा (बी. एल. एड.) में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि.

या

कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा (या उसके समकक्ष) तथा शिक्षा (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा.

- (ख) कालम (7) में, मद 3 के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ी जाए, अर्थात् :--
 - '' (4) संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 (प्रयोगशाला) के लिए न्यूनतम अर्हता, विज्ञान विषय के साथ कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकण्डरी प्रमाण-पत्र परीक्षा या उसके समकक्ष होगी.'';

(चार) शीर्षक ''नोट (क) अर्हताएं'' के अधीन,—

- (क) खण्ड (1) का लोप किया जाए;
- (ख) खण्ड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :--
 - ''(4) सरकारी स्कूलों के लिए नियुक्त किए गए मानसेवी शिक्षकों तथा व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक को 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में पन्द्रह वर्ष की छूट दी जाएगी :
 - परन्तु व्यावसायिक शिक्षा के अंशकालिक शिक्षक जिसकी संविदा, कार्य संतोषजनक न पाए जाने के कारण, समाप्त की गई थी, इस छूट के लिए हकदार नहीं होगा.'';
- (ग) खण्ड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोडा जाए, अर्थात् :--
 - ''(9) विधवा तथा तलाकशुदा अभ्यर्थी को अधिकतम आयु सीमा में, अन्य छूट के अतिरिक्त पांच वर्ष की छूट होगी.
 - (10) राज्य सरकार, अनुसूची-दो के कॉलम (5) में यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हता रखने वाले व्यक्तियों को संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियुक्त करेगी. यदि पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो राज्य सरकार, नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (क्रमांक 35 सन् 2009) की धारा 23(2) के अधीन केन्द्र सरकार की सम्यक् अधिसूचना के पश्चात् नियमों के उपबंधों के अनुसार, संविदा शाला शिक्षक के पद पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी.
 - (11) ऐसे अभ्यर्थी जो सरकारी स्कूलों में कम से कम तीन शैक्षणिक सत्रों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे हैं, अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे;'';

(पांच) शीर्षक ''नोट (ख) निरहर्ताएं'' के अधीन, खण्ड (७) का लोप किया जाए.

- 4. अनुसूची-चार का लोप किया जाए.
- 5. यह संशोधन राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला,** उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जून 2011

क्र. एफ-2-2-2011-बाईस-पं.-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-2-2011-बाईस-पं.-2, दिनांक 27 जून 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला,** उपसचिव.

Bhopal, the 27th June 2011

No. F-2-2-2011-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 95 read with sub-section (2) of section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and conditions of Contract) Rules, 2005 the same having been previously published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated 3rd August 2010 and 8th February, 2011 as required by sub-section (3) of section 95 of the said Act, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

- 1. In rule 6,—
 - (i) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 - "(5) The grade and category wise minimum percentage of markes to qualify in eligibility examination of Samvida Shala Shikshak shall be as under:—

Grade of Smvida Shala Shikshak	Scheduled Castes/Schedule Tribes/Other Backward Classes/ Persons with disabilities	Others
(1)	(2)	(3)
Grade-1	50%	60%
Grade-2	50%	60%
Grade-3	50%	60%.";

- (ii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
- "(8) The advertisement and the procedure of employment of Samvida Shala Shikshak shall be specified by the executive orders of the State Government.";
- (iii) for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
 - "(9) Criterion of Selection. —The procedure of employment of Samvida Shala Shikshak and preparation of merit list of the cancidates belonging to all categories, may be specified by executive order of the State Government.";
- (iv) Sub-rule (10), (11) and (13) shall be omitted.

- 2. In rule 12, for clause (d) the following clause shall be substituted, namely:—
 - "(d) A person employed under these rules shall be entitled to thirteen days casual leave and three days optional leave in a year. In case of women "Samvida Shala Shikshak", she shall be entitled to one hundred eighty days maternity leave and in case of male "Samvida Shala Shikshak" he shall be entitled to fifteen days paternity leave, but no "Samvida Shala Shikshak" shall be entitled to any other kind of leave.".

3. In Schedule II,-

- (i) In serial number 1, in column (5), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-
 - "Masters Degree in the relevant subject with Bachelor of Education (B.Ed.) or its equivalent.";
- (ii) In serial number 2, in column (5), for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:-

Bachelor Degree in the relevant subject and 2 years Diploma in Elementary Education or its equivalent.

OR

Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (B.Ed.).

OR

Bachelor Degree in the relevant subject with at least 45% marks and Bachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002.

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and Bachelor in Elementary Education (B.El. Ed.).

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks and 4 years Bachelor Degree in the relevant subject (B.A. B.Ed./B.Sc. Ed.)

OR

- Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and Bachelor in Education (Special education).";
- (iii) in serial number 3,—.
 - (a) in column (5) for the existing entry, the following entries shall be substituted, namely:—
 - "Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Elementary Education.

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 45% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Elementary Education in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002.

OR

Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 4 years Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.).

OR

- Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks (or its equivalent) and 2 years Diploma in Education (Special Education).";
- (b) In column (7), after item 3, the following item shall be added, namely:—
 - "4. The minimum qualification for samvida Shala Shikshak Grade-3 (Laboratory) shall be Higher Secondary Certificate Examination with at least 50% marks with Science subjects or equivalent.";
- (iv) under the heading "Note (a) Qualification",-
 - (a) clause (1) shall be omitted;
 - (b) for clause (4), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(4) The Honorary Teachers appointed for Government schools and part time teacher of Vocational Education shall be given fifteen years relaxation in maximum age limit of 35 years:
 - Provided that part time reacher of Vocational Education whose contract was terminated due to his work being found unsatisfactory will not be entitled for this relaxation.";
 - (c) After clause (8), the following clauses shall be added, namely:—
 - "(9) Widow and Divorcee candidate shall have five years relaxation in maximum age limit in addition to other relaxation.
 - (10) The State Government shall appoint the persons as Samvida Shala Shikshak possessing minimum qualification as laid down in column (5) of Schedule -II. If trained persons are not available in sufficient number the State Government may appoint untrained persons on the post of Samvida Shala Shikshak as per provision of the rules after due notification of the Central Government under section 23(2) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009).
 - (11) The candidates who have worked as Guest Teacher in Government School for minimum three educational session, shall be entitled to five years relaxation in maximum age limit;";
 - (v) under the heading "Note (b) Disqualification", clause (7) shall be omitted.
- Schedule IV shall be omitted.

This amendment shall come into force from the date of publication of this notification in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, URMILA SURENDRA SHUKLA, Dy. Secy.